



मु. सं. 04/2018  
श्रीमती धन्नी व अन्य १/1 राम. स्मरण

न्यायालय श्री  
राजस्व वाद

18-7-18 वकील वारीगण व स्वयं वारीगण अनुपस्थित।  
वकील वारीगण व स्वयं वारीगण को कक-कक  
कर कर कर कावाजे लगाई गई, परन्तु  
कोई शक्ति नहीं आए। अतः प्रकरण  
टाजरी एवं अदम पैरवी में खोज  
जाता है। मिस्टर फैसल शुमार डीकर नम्बर  
से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

30-07-19 रेस्टोरेशन ऑफ पत्र सं. 43/18 अन्तर्गत आदेश 9  
निम्न 9 आ.पी. व धारा 5 कियत की निम्न  
स्वीकृत किये जाने से यह मूल वाद पुनः  
नए नम्बर पर लिए जाने के आदेश  
दिए जाते हैं। पत्रावली में अधिवक्ता  
वादी/अधीनस्थ तहसीलदार ब्यावर का अमान  
मय नकल वाद पत्र के पेश के जो पेश  
होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक  
04-09-19 को पेश हो।

(जसवीरसिंह संघ)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

04-9-19 वकील वादी व स्वयं वारीगण अनुपस्थित।  
वारीगण व उनके अधिवक्ता को कक-कक  
कर कर कर कावाजे लगाई गई, परन्तु  
कोई शक्ति नहीं आए। अतः प्रकरण  
अदम टाजरी व अदम पैरवी में खोज  
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार  
डीकर नम्बर से कम हो।

(जसवीरसिंह संघ)

उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

